

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 7(2)कार्मिक/क-2/15 पार्ट-

जयपुर, दिनांक:-16.05.2016

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

परिपत्र

विषय:- SBC वर्ग को दी गई नियुक्तियों की सूचना (जातिवार) एकत्र कर उपलब्ध करवाने बाबत।

राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा अब तक काफी संख्या में नियुक्तियां दी जा चुकी है। राज्य सरकार को SBC वर्ग के अभ्यर्थियों को अब तक दी जा चुकी नियुक्तियों की अद्यतन सूचना प्रस्तुत की जानी है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारियों से निर्देशानुसार अनुरोध है कि राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) हेतु आरक्षण लागू होने अर्थात् दिनांक 06.05.2010 के पश्चात, उक्त वर्ग के लोगों को दी गई नियुक्तियों की सूचना विभागवार/पदवार (जातिवार) अपने अधीनस्थ विभागों से सूचना इकजाई कर निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 17.05.2016 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्मिक विभाग के ई-मेल (dopcomputer@yahoo.com)/फैक्स न० (0141-2227986)/विशेष पत्र वाहक से भिजवाया जाना अवश्यमेव सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विभाग /सेवा	पदनाम	भर्ती वर्ष	जातिवार नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या					अन्य विवरण
				1	2	3	4	5	
				Banjara/ Baldiya/ Labana	Gadiya Lohar/ Gadoliya	Gujar/ Gurjar	Raika/ Rebari/ Debasi	Gadiariya/ Gadri/ Gayari	

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(ओपीओ गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा. राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव